

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी - मोहम्मद आसिफ अंसारी, RJS
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

तलाक याचिका संख्या (हि.वि.अधि.) - 166/2025

CIS No. - 166/2025

CNR No. - RJSG110008572025



चारु उपाध्याय पत्नी प्रदीप सिंवाल पुत्री राकेश कुमार, निवासी हाल 1/112
आर एच बी कालोनी जवाहरनगर श्रीगंगानगर (राज.)।

-- आवेदिका(प्रथम पक्ष)

बनाम

प्रदीप सिंवाल पुत्र कृष्ण गोपाल सिंवाल, निवासी वार्ड संख्या 18 सूरतगढ़, जिला
श्रीगंगानगर (राज.)।

-- आवेदक(द्वितीय पक्ष)

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम

उपस्थित:-

01. आवेदिका चारु उपाध्याय की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सहदेव जोशी ।
02. आवेदक प्रदीप सिंवाल की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह।

निर्णय

दिनांक- 23.04.2026

01- आवेदकगण की ओर से उक्त आवेदन अंतर्गत धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 22.08.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

02- पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत परस्पर सहमति की याचिका के निस्तारण हेतु मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दू अंकित किए जाने उचित होंगे-

1. पक्षकारान का विवाह हिन्दु विधि व रीति-रिवाज से दिनांक 05.11.2022 को सूरतगढ़ में सम्पन्न हुआ था।

2. पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अभिवचनों एवं उसके समर्थन

में प्रस्तुत शपथपत्रों के अनुसार पक्षकारान हस्तगत आवेदन प्रस्तुति की दिनांक 22.08.2025 से पूर्व दिनांक 15 सितम्बर 2023 से अलग-अलग रहकर एक पृथक ईकाई के रूप में अपना जीवनयापन कर रहे हैं।

3. पक्षकारान द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के प्रावधानों में दिनांक 22.08.2025 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. पक्षकारान आवेदन-पत्र प्रस्तुति के पश्चात्, छः माह से अधिक अवधि से अलग-अलग रह रहे हैं।

5. पत्रावली पर विद्यमान सामग्री से पक्षकारान के मध्य हिन्दू विधि से विवाह होना अनुष्ठापित हुआ है।

6. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के प्रावधानों में जांच के लिए पक्षकारान क्रमशः ए.ड. 1 चारु उपाध्याय, ए.ड. 02 प्रदीप सिंवाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं तथा साक्ष्य हेतु पेश होकर दस्तावेजात प्रदर्श 1 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (फोटोप्रति प्रदर्श 1 ए) व प्रदर्श 2 आधार कार्ड प्रदीप सिंवाल (फोटोप्रति प्रदर्श 2 ए) प्रदर्शित करवाये गये हैं।

7. पक्षकारान परस्पर सहमत हो गए हैं कि उनके मध्य विवाह का विघटन कर दिया जावे।

8. पक्षकारान के मध्य स्त्रीधन एवं जीवन निर्वाह भत्ता राशि आदि का कोई विवाद शेष नहीं रहा है।

9. पक्षकारान द्वारा परस्पर दुर्भिसंधि कर विवाह विच्छेद की परस्पर सहमति से आवेदन प्रस्तुत करना प्रकट नहीं होता है।

10. पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आवेदन के प्रकथन प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सही होना स्पष्ट होते हैं।

11. न्यायालय स्तर पर पक्षकारान के मध्य दाम्पत्य जीवन की पालना सुनिश्चित करने हेतु समझौता वार्ता करवाई गई लेकिन पक्षकारान एक दूसरे के साथ रहने को सहमत नहीं हुए तथा दोनों में राजीनामा होना संभव प्रतीत नहीं हुआ। इसलिए पक्षकारान के मध्य दाम्पत्य जीवन पालन की सम्भावना शून्य है।

12. पक्षकारान के भविष्यकालीन जीवन के दृष्टिगत पक्षकारान के मध्य सम्पन्न विवाह का विच्छेद किए जाने से ही पक्षकारान का उज्रवल भविष्य सम्भव है।

03- उल्लेखनीय है कि हस्तगत तलाक याचिका दाखिल किए हुए 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। परिणामतः पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य व उक्त 12 सूत्रीय बिन्दुओं के मद्देनजर पक्षकारान द्वारा परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद बाबत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित

प्रकट होता है।

04- यह निर्णय पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार अति-संक्षिप्त रूप में पारित किया गया है।

आदेश

05- अतः आवेदकगण चारु उपाध्याय (पत्नी, प्रथम पक्षकार) एवं प्रदीप सिंवाल (पति, द्वितीय पक्षकार) के द्वारा प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य दिनांक 05.11.2022 को सम्पन्न हुए विवाह को पक्षकारान की आपसी सहमति से आज दिनांक 23.04.2026 से विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विच्छेदित (विघटित) किया जाता है।

नियमानुसार डिक्री बनाई जावे तथा पक्षकारान को डिक्री की एक-एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

(मोहम्मद आसिफ अंसारी)

06- निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद आसिफ अंसारी)